15 05/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अ.।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व पटवारी हल्का मुण्डारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 2022/131 **GCMS NO: 2022/131**
तारीख दर्ज:–07.04.2021
निर्णय दिनांक:–15.05.2024

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. जब्बर सिंह पुत्र चन्दनसिंह 2. दलपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह 3. दौलत सिंह पुत्र चन्दनसिंह 4. नीमा कंवर पत्नि किशन सिंह 5. पूजा राठौड पुत्री किशन सिंह 6. प्रेम कुवर पुत्री चन्दनसिंह 7. राजपालसिंह पुत्र किशन सिंह 8. विशनसिंह पुत्र चन्दनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज.)।

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::– दिनांक : 15.05.2024

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार बाली लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 1144 कुल रकबा 10.27 हैक्टेयर मौजा मुण्डारा में स्थित है। उक्त अराजी का प्रार्थी भूमि लैण्ड होल्डर है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त अराजी के खातेदार काश्तकार है। यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वाद पत्र को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर भूमि पर प्लॉट/घर/दुकानें/ढाबा बना भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं, जिसका अप्रार्थीगण को हक नहीं है। अप्रार्थीगण ने कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं विना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। अप्रार्थीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थीगण को भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 20.01.2022 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार बाली के आदेशानुसार ग्राम मुण्डारा का भ्रमण कर सर्वे किया तब अप्रार्थीगण द्वारा भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से गैर कृषि कार्यो के रूप में उपयोग करते पाए गए। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177, 92क आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। वाद प्रार्थी मय शपथ–पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन किया है कि वाद वहक वादी विरूध अप्रार्थी डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाए तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाये कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द–बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी. एक्ट के तहत् दिलवाई जावे।

पेज लगातार......................02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व प्रकरण सं. 2022/131

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम जब्बरसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना-पत्र बन्द किया गया। प्रार्थना-पत्र के संबंध में तहसीलदार बाली द्वारा कार्यालय पत्रांक/राज./2024/288 दिनांक 13.05.2024 कर प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में नवीन मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति लिखित में पेश की। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार, बाली को सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेज, जवाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2024/288 दिनांक 13.05.2024 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1144 रकबा 10.27 है0 मौजा मुण्डारा, जिसकी किस्म चाही दोयम जाव दोयम है अर्थात् कृषि योग्य भूमि है। उक्त खसरे का कुल रकबा 10.27 है0 में दो होटल जिसका रकबा 20x16= 320 वर्गमीटर व 20x13= 260 वर्गमीटर कुल रकबा 580 वर्गमीटर यानि .0580 हैक्टेयर भूमि जो रिपोर्ट में संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग से दिखाया गया है पर संचालित हो रही हैं। दोनों होटल(ढाबा) वाली भूमि (580 वर्गमीटर) का बिना विधिक प्रकिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर प्लॉटिंग आदि करके वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका फर्द व तहसीलदार बाली की रिपोर्ट दिनांक 13.05.2024 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर होटल(ढाबा) बनाकर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक खाता राजस्थान सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम मुण्डारा तहसील बाली; खसरा नंबर 1144 कुल रकबा 10.27 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम में से तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकःराजस्व/2024/288 दिनांक 13.05.2024 में वर्णित रकबा 580 वर्गमीटर यानि 0.0580 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शे में लाल रंग में दर्शित भूमि से अप्रार्थीगण खातेदार जब्बर सिंह पुत्र चन्दनसिंह वगैराह (अप्रार्थी संख्या 1 से 8) जाति राजपूत निवासीगण मुण्डारा (बाली) के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2024/288 दिनांक 13.05.2024 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश अभिन्न अंग रहेगा। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– बाली

बईजलास :– श्री दिनेश बिश्नोई, आर०ए०एस०

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. जब्बर सिंह पुत्र चन्दनसिंह 2. दलपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह 3. दौलत सिंह पुत्र चन्दनसिंह 4. नीमा कंवर पत्नि किशन सिंह 5. पूजा राठौड पुत्री किशन सिंह 6. प्रेम कुवर पुत्री चन्दनसिंह 7. राजपालसिंह पुत्र किशन सिंह 8. विशनसिंह पुत्र चन्दनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०नं० : रा० प्रा०प० सं० 2022/131

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–.................. व हाजरी श्री तहसीलदार बाली, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ....–.................... अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम **मुण्डारा, तहसील– बाली, खसरा नंबर–1144, कुल रकबा 0.0580 बीघा मौजा मुण्डारा किस्म चाही दोयम जाव दोयम** से अप्रार्थीगण खातेदार **जब्बर सिंह पुत्र चन्दनसिंह, दलपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह, दौलत सिंह पुत्र चन्दनसिंह, नीमा कंवर पत्नि किशन सिंह, पूजा राठौड पुत्री किशन सिंह, प्रेम कुवर पुत्री चन्दनसिंह, राजपालसिंह पुत्र किशन सिंह, विशनसिंह पुत्र चन्दनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज.)** के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। **अप्रार्थीगण जब्बर सिंह वगैरा** को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज ....–...............मुवक्लिक.........–........... बाबत...........–............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.......–.. ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–..................को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **15.05.2024** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दयलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकलातनामा	
स्टाम्प वकलातनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	

मिजान:–　　　　　मिजान:–

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जाये।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली)